आदेश

विषयः ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों के लिए क्रय वरीयता उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश-2017 (पुनरीक्षण) के संबंध में।

आय एवं रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की अधिसूचना संख्या 45021/2/2017-पीपी (बी.ई. ॥), दिनांक 15.06.2017 और दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 तथा 16.09.2020 के उत्तरवर्ती संशोधनों के द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक क्रयादेश, 2017 (मेक इन इंडिया को वरीयता) के अनुसरण में, निम्नलिखित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को, जिनकी यहां पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है, इसी विषय पर दिनांक 04/05/2020 के पूर्व के आदेश के अधिक्रमण में भारी उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

2. डीपीआईआईटी के पीपीपी-एमआईआई आदेश की अधिसूचना सं. 45021/2/2017-पीपी(बी.ई.-॥), दिनांक 16.09.2020 के पैरा 5 के संदर्भ में श्रेणी-। के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्थानीय अंतर्वस्तु की आवश्यकता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

2.1 आईसी इंजनों पर आधरित ऑटोमोबाइल

परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऑटोमोबाइल का मतलब दुपहिया और तिपाहिया, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहन आदि होगा।

श्रेणी-। के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए अपेक्षित स्थानीय अंतर्वस्तु की प्रतिशतता	**65%**

2.2 आईसी इंजन वाले वाहनों के लिए ऑटोमोटिव घटक

इस अधिसूचना के प्रयोजन से ऑटोमोटिव घटकों का मतलब, दुपहियों और तिपाहियों, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों आदि के विनिर्माण/रखरखाव के अपेक्षित घटक/कल-पुर्जे होगा।

श्रेणी-। के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए अपेक्षित स्थाकनीय अंतर्वस्तु की प्रतिशतता	**60%**

3. अतः, नीचे सूचीबद्ध किए गए अनुसार, सभी ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों की खरीद में, केवल क्लास-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता बोली लगाने के पात्र होंगे- चाहे डीपीआईआईटी के पीपीपी-एमआईआई आदेश अधिसूचना संख्या 45021/2/2017-पीपी (बीई-II), दिनांक 16 सितंबर 2020 के पैरा 3(क) के अनुसार उसका क्रय मूल्य कुछ भी हो।

(i)

क्र.सं.	आईसी इंजन आधारित ऑटोमोबाइल
1	यात्री वाहन (यात्री कार, यूटिलिटी वाहन, वैन)
2	वाणिज्य वाहन (एलसीवी, एम एंड एचसीवी)
3	दुपहिया (मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल)
4	तिपहिया (वस्तु और यात्री)

(ii)

क्र.सं.	आईसी इंजन वाले वाहनों के लिए ऑटोमोटिव घटक
1.	रबड़ पार्ट
2.	एसबेस्टस पैकिंग ज्वाइंट्स और गास्केट
3.	ब्रेक लाइनिंग और पैड्स (एसबेस्टस युक्त)
4.	एसबेस्टस फ्रिक्शन सामग्री
5.	ब्रेक लाइनिंग और पैपड (एसबेस्टस रहित)
6.	ऑटोमोटिव ग्लास
7.	लीफ-स्प्रिंगः मोटर वाहनों के लिए
8.	लीफ स्प्रिंगः स्प्रिंग्स के लिए लीव्स
9.	हेलिकल स्प्रिंग
10	स्प्रिंग पिन्स
11	ऑटोमोटिव व्हील्स
12	मोटर वाहनों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के ताले
13	सभी प्रकार के डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड इंजन और इंजन पार्ट्स
14	गैस कम्प्रेसर्स, टर्बो चार्जर
15	पार्ट्स- वातानुकूलन
16	अंतर्दहनो इंजनों के लिए तेल अथवा पेट्रोल फिल्टर
17	अंतर्दहन इंजनों के लिए इनटेक एयर फिल्टर
18	एयर प्यूरीफायर अथवा क्लीनर
19	फिल्टरिंग के लिए मशीनरी और एपरेटस के पार्ट्स
20	हर तरह के बेयरिंग
21	बेयरिंग हाउसिंग, बॉल अथवा रोलर बेयरिंग वाले
22	बेयरिंग हाउसिंग बिना बॉल अथवा रोलर बेयरिंग प्लेन शाफ्ट बेयरिंग वाले

23	टूथ्ड व्हील्स, चेन स्प्रॉकेट्स और अन्य ट्रांसमिशन एलिमेंट्स से इतर के, अलग से प्रस्तुत एलिमेंट्स, बॉल अथवा रोलर स्क्रू, गियर बॉक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स–टॉर्क कन्वर्टर सहित
24	पुली, विद्युत पारेषण
25	फ्लेक्सिबल कपलिंग
26	फ्ल्यूड कपलिंग
27	अन्यःक्लचेज और शाफ्ट कपलिंग–यूनिवर्सल ज्वाइंट्स सहित
28	टूथ्ड व्हील्स, चेन स्प्रॉकेट्स और अलग से प्रस्तुत अन्य ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, पार्ट्स
29	एसबेस्टस मेटालिक पैकिंग्स और गैस्केट्स (मेटल गेज अथवा वायर के साथ पुनर्प्रवर्तित एसबेस्टस् के गेस्केट्स को छोड़कर)
30	मैकेनिकल सिल्स
31	स्पार्क प्लग्स
32	सामने की बत्तियां, पीछे की बत्तियां, रोकने वाली बत्तियां, साइड लैंप और ब्लिंकर
33	अन्य ऑटोमोबाइल प्रकाश उपकरण और ऑटोमोटिव लाइटिंग
34	हॉर्न्स
35	विन्डस्क्रीन वाइपर्स, डिफ्रॉस्टर्स और डेमिस्टर्म
36	सील्ड बिम लैम्प यूनिट्स
37	इग्निशन (ज्वलन) वायरिंग सेट्स और वाहनों में उपयोग होने वाले अन्य वायरिंग सेट्स
38	सेफ्टी सीट बेल्ट्स
39	गियर बॉक्स और उसके पार्ट्स
40	प्रभेदक के साथ ड्राइव-एक्सल्स–चाहे वह अन्य पारेषण घटकों के साथ प्रदान किया गया हो अथवा न किया गया हो, नॉन-ड्राइविंग एक्सल्स, उनके पुर्जे
41	रोड व्हील्स और पार्ट्स तथा उसके सामान
42	मोटर वाहनों के लिए संस्पेशन प्रणाली और उसके पार्ट्स (शॉक एब्जॉवर सहित)
43	रेडियेटर्स और उसके पार्ट्स
44	साइलेंसर्स (मफलर्स) और एग्जॉस्ट पाइप: उसके पार्ट्स
45	क्लचेज और उसके पार्ट्स (सिन्टर्ड फ्रिक्शन मैटेरियल्स –एसएफएम प्रोडक्ट्स)
46	स्टीयरिंग व्हील्स, स्टीयरिंग कॉलम्स और स्टीयरिंग बॉक्सेज, उनके पार्ट्स
47	टैकोमीटर्स, गैर-विद्युतीय
48	अन्य ऑप्टिकल इन्स्ट्रूमेंट्स और उपकरण: पार्ट्स और सामान (माप और जांच इन्स्ट्रूमेंट्स-सेन्सर्स)
49	इन्स्ट्रूमेंट पैनल क्लॉक्स और वाहनों के लिए समान प्रकार के क्लॉक्स
50	मोटर वाहनों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार की सीट
51	इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जैसे- मोटर्स, वायरिंग हारनेस इत्यादि
52	सस्पेंशन और ब्रेकिंग पार्ट्स
53	इन्टीरिअर्स (नॉन-इलेक्ट्रॉनिक)
54	बॉडी और चेसिस पार्ट्स
55	ड्राइव ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग

56	ऑटोमोटिव स्विचेज, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स

4. यह आदेश कंपनी अधिनियम में परिभाषित सरकारी कंपनियों सहित भारत सरकार के अंतर्गत सभी संबद्ध अथवा अधीनस्थ या स्वायत्त निकायों द्वारा की गई खरीद और / अथवा सभी केन्द्रीय स्कीमों/ केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों, जहां भारत सरकार द्वारा स्कीम का पूर्णत: अथवा आंशिक वित्तपोषण किया गया है, के तहत खरीद करने वाले राज्यों और स्थानीय निकायों के संबंध में लागू होगा ।

5. भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय इस अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला नोडल एजेंसी होगा।

6. इस आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों पर निर्णय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा गठित समिति लेगी। शिकायत समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

1	संयुक्त सचिव, ऑटो इंजीनियरिंग उद्योग प्रभाग के प्रभारी, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, ऑटोमोबाइल विनिर्माता संघ समिति	सदस्य
3	महानिदेशक, ऑटोमोटिव उपकरण विनिर्माता संघ	सदस्य
4	निदेशक, भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ	सदस्य
5	निदेशक, आईसीएटी	सदस्य
6	निदेशक, भारी उद्योग विभाग	सदस्य-सचिव

7. सभी परिभाषाएं, नियम एवं शर्तें डीपीआईआईटी के पीपीपी-एम ।। आदेश की अधिसूचना सं. 45021/2/2017-पीपी(बी.ई.।।), दिनांक 15.06.2017 और दिनांक 28.05.2018, 29.0;5.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 के बाद के संशोधनों अथवा पुन: विचार और इसके अनुपालन में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों, संशोधनों और पुन:विचारों के अनुसार होंगी।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अमित मेहता

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23061785

नई दिल्ली, दिनांक 10.2020

अमित मेहता/AMIT MEHTA
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
भारी उद्योग विभाग/Department of Heavy Industry
भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रति :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. मंत्रिमंडल सचिवालय
3. प्रधानमंत्री कार्यालय
4. नीति आयोग
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
6. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारी उद्योग विभाग
7. संयुक्त सचिव (डीआईपीपी), सदस्य-सार्वजनिक क्रयादेश-2017 संबंधी स्थायी समिति के सदस्य-संयोजक।
8. आंतरिक विवरण

अमित मेहता

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23061785

अमित मेहता/AMIT MEHTA
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
भारी उद्योग विभाग/Department of Heavy Industry
भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली/New Delhi